भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 00AA 922902

पं० सुरेश मिश्र शिक्षा एवं सेवा संस्थान
ग्राम कठोह-पट्टीसौली
सन्तकबीरनगर जी-38550
निपमपत्ती

06/11/06

३५नं. 1/- ध1/2006 राकेश मिश्रा शिक्षा एवं सेवा संस्थान
ग्रा.पो. परसौनी सन्त कबीर नगर

श्री. [illegible] स्टाम्प विक्रेता ला. नं. [illegible] कचहरी, गोरखपुर
ह०
वि०

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

रु.5

Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

00AA 922901

पं० शोभा मिश्र शिक्षा एवं सेवा संस्थान
ग्राम बरौठा – पटखौली
सन्तकबीरनगर रजि० 38550
प्रमाणित पत्र

06/01/06

33 रु०51/- 2/1/2006 सर्वेश नित्य शिक्षा एवं सेवा संस्थान
अ०प्र० पटवा की सतनवीर नाथ

स्टैम्प विक्रेता

स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : पं0 राकेश मिश्र शिक्षा एवं सेवा संस्थान
2. संस्था का पता : ग्राम व पो0- पटखौली, जिला- संत कबीर नगर
3. कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।
4. संस्था का उद्देश्य :

(क) बालक, बालिकाओं के लिए उपयुक्त साहित्यिक, वैज्ञानिक कलात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक प्राविधिक एवं प्रारम्भिक से उच्च स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था करना ।

(ख) चिकित्सा शिक्षा, सेवा, परिवार कल्याण, हस्तकला, एवं कुटीर उद्योग कम्प्यूटर एवं पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करना ।

(ग) भारतीय संस्कृति, धर्म, आचार पद्वति तथा राष्ट्र जीवन के प्रति श्रद्वा रखने वाले भावों का प्रसार करना ।

(घ) अनु0जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के छात्रों को आवासीय सुविधा से युक्त विद्यालय की व्यवस्था करना, महिलाओं के विकास हेतु कार्यक्रम चलाना तथा समाज के कमजोर वर्ग के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था ।

(ङ) महिलाओं के लिए सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, बेकिंग, कुकिंग, पेन्टिग फल संरक्षण, गृह ~~उद्योग~~ शिशु कला का विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

(च) समाज कल्याण के सभी क्षेत्रों में कार्य करना, शिक्षा विभाग के नियमानुसार शिक्षा की व्यवस्था करना ।

(छ) साधारणतया वे सभी कार्य करना जो उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों ।

(ज) खादी ग्रामोद्योग व —— संस्थाओं ~~एवं~~ —————— समाज सेवा तथा उद्योगों के विकास हेतु कार्य करना ।

(झ) छात्रावास, पुस्तकालय —— की स्थापना करना ।

(ट) दहेज प्रथा उन्मूलन, वृक्षारोपण, देशाटन, जनजागृति एवं मानव विकास हेतु प्रदर्शनी, मेला, नाटक, नुक्कड़ सभा जागरूकता शिविर, शिक्षित बेरोजगार को प्रशिक्षित कर रोजगार ~~की व्यवस्था~~ कराना एवं ऐसे कार्य करना जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं ।

V.K. Ojha
सरिता पाण्डेय
u.mishra.
मीरा मिश्रा
Anil Kumar

4

प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पते, व्यवसाय एवं पद जिन पर संस्था के नियमानुसार प्रबन्धन का दायित्व है :-

क्र0सं0	नाम	पता	व्यवसाय	पद
1.	डा0 विजय कृष्ण ओझा पुत्र श्री राम सुभग ओझा	विद्यानगर, खलीलाबाद संत कबीर नगर	अध्यापन	अध्यक्ष
2.	श्रीमती मीरा पुत्री श्री विन्ध्याचल	ग्राम व पो0- खजनी जनपद- गोरखपुर	समाज सेवा	उपाध्यक्ष
3.	श्री राकेश मिश्र पुत्र श्री चन्द्रभान मिश्र	पटखौली, खलीलाबाद संत कबीर नगर	अध्यापन	मंत्री/ प्रबन्धक
4.	श्रीमती सरिता पाण्डेय पत्नी श्री हरिशंकर पाण्डेय	खजनी बाजार, गोरखपुर	अध्यापन	उपमंत्री
5.	श्री उमाशंकर मिश्र पुत्र श्री लक्ष्मीकांत मिश्र	ग्राम- मुड़रिया, पो0- पोखरा, बस्ती	अध्यापन	कोषाध्यक्ष
6.	श्री संतोष कुमार पाण्डेय पुत्र श्री विन्ध्याचल पाण्डेय	खजनी बाजार, गोरखपुर	कृषि	सदस्य
7.	श्री अनिल कुमार मिश्र पुत्र श्री राम सरन मिश्र	धनश्यामपुर, मगहर संत कबीर नगर	नौकरी	सदस्य

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता एक समिति बनाकर उपरोक्त स्मृति पत्र के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक संस्था बनाकर संगठित होना चाहते है तथा संस्था को रजिस्टर्ड कराना चाहते है ।

दि0 14.12.05

V.K. Ojha

सरिता पाण्डेय

मीरा मिश्र

संतोष कुमार

Anil kumar

सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स तथा सोसायटीज गोरखपुर

06/01/06

प्रतिलिपि कर्ता

मिलान कर्ता

06/01/06

आवली संख्या G.38550

आलेख का क्रम I

प्रति पत्रावली [illegible]

नियमावली

आज दिनाँक 26/12/05

को सन् 1860 के अधिनियम 21 के अन्तर्गत निबन्धन की गयी।

26.12.05

सहायक निबन्धक समितियाँ

[illegible] गोरखपुर

नियमावली

1. संस्था का नाम : पं० राकेश मिश्र शिक्षा एवं सेवा संस्थान
2. संस्था का पता : ग्राम व पो०- पटखौली, जिला- संत कबीर नगर
3. कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था की सदस्यता :

(क) **संरक्षक सदस्य** : संस्था के हित की चिन्ता करने वाले वे महानुभाव जो संस्था को एक बार में कम से कम 5001रू0 या इसी मूल्य की सम्पत्ति देगें संस्था के संरक्षक सदस्य होगें ।

(ख) **संस्थापक सदस्य** : संस्था की स्थापना के समय हस्ताक्षर करने वाले संस्था के संस्थापक सदस्य कहलायेगें ।

(ग) **विशिष्ट सदस्य** : संस्था के प्रति हितैशी भाव रखने वाले समय-समय पर संस्था को सहयोग प्रदान करने वाले व्यक्ति को संस्थापक सदस्यों की सलाह से विशिष्ट सदस्य चुना जायेगा ।

(घ) **सामान्य सदस्य** : संस्था के हित में कार्य करने वाले तथा रू0 2100/- सदस्यता शुल्क वार्षिक जमा करने वाले व्यक्ति संस्था के सामान्य सदस्य होगें ।

5. **सदस्यता की समाप्ति** : मृत्यु होने पर पागल या दिवालिया होने पर, संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर, त्याग पत्र देनें, अविश्वास होने तथा लगातार तीन बैठकों में बिना सूचना के अनुपस्थित होने पर सदस्यता समाप्त हो सकती है ।

6. **संस्था का गठन :**

(क) साधारण सभा (ख) प्रबन्धकारिणी समिति

(क) साधारण सभा

1. **गठन** :- सभी सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।
2. **बैठक** :- साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी, विशेष बैठक कभी भी आवश्यकता पड़ने पर बुलाई जा सकती है ।
3. **सूचना अवधि** :- सामान्य बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 1 दिन पूर्व डाक या संदेशवाहक द्वारा दी जायेगी ।
4. **गणपूर्ति** :- साधारण सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों के 2/3 से होगी परन्तु एक बार बैठक स्थगित होने पर अगली बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नही होगा।
5. **कर्तव्य** :- 1. प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना ।
   2. संस्था का वार्षिक बजट पास करना ।
   3. संस्था के वार्षिक रिर्पोट की संस्तुति करना ।
   4. चल अचल सम्पत्ति की देखरेख करना ।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर

(ख) **प्रबन्धकारिणी समिति :-**

1. गठन :- प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा किया जायेगा जिसमें 5 पदाधिकारी तथा दो सदस्य होगें ।
2. बैठक :- समिति की बैठक वर्ष में दो बार अवश्य होगी, आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है ।
3. सूचना अवधि :- बैठक की सूचना सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना एक दिन पूर्व डाक या संदेश वाहक द्वारा दी जायेगी।
4. गणपूर्ति :- गणपूर्ति कार्यकारिणी 2/3 सदस्यों की उपस्थिति पर होगी ।
5. रिक्त स्थानों की पूर्ति :- आकस्मिक रूप से कोई स्थान रिक्त होने प उसकी पूर्ति मंत्री द्वारा शेष कार्यकाल के लिए नामित करके की जायेगी ।
6. प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :- 1. संस्था के हित में सभी प्रकार का प्रयत्न करना ।
7. कार्यकाल :- समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा ।
8. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का अधिकार एवं कर्तव्य :-

अध्यक्ष :- बैठकों की अध्यक्षता करना, कार्यवाही के लिए नये विषयों को जोड़ना, बैठकों के विषयों का अनुमोदन करना, नियुक्ति, विनियुक्ति वेतन तथा दण्ड आदि प्रक्रिया में आवश्यक सलाह देना ।

उपाध्यक्ष :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकारों का प्रयोग करना।

प्रबन्धक/मंत्री :- समिति की बैठकों का संचालन करना, कार्यवाही लिखना, व्यय की स्वीकृति देना, समिति के निर्णयों को क्रियान्वित करना, अभिलेखों की पूर्ति, रखरखाव की व्यवस्था करना, पंजीकरण व नवीनीकरण की व्यवस्था करना, नियुक्ति, विनियुक्ति, पदोन्नति, वेतन वृद्धि दण्ड आदि सुनिश्चित करना, राजकीय सहायता अनुदान ऋण आदि प्राप्त करने हेतु समिति की ओर से कार्य करना, प्रबन्धक द्वारा बैंक आदि में स्वंय अथवा अन्य किसी नामित व्यक्ति को एकल एवं संयुक्त खाता खोलने हेतु अधिकृत करना एंव कराना । साधारण सभा का सदस्य बनाना एवं रसीद देना तथा संस्था के विरूद्व कार्य करने पर किसी सदस्य को निष्कासित करना ।

उप प्रबन्धक/उपमंत्री :- मंत्री के द्वारा दिये गये दायित्वों का निर्वाह करना तथा आवश्यक सहयोग प्रदान करना एवं मंत्री की अनुपस्थिति में उक्त दायित्व का निर्वाह करना ।

कोषाध्यक्षः- मंत्री के द्वारा दिये गये दायित्वों का निर्वाह करना तथा आवश्यक सहयोग प्रदान करना एवं कोष का रखरखाव करना तथा कोष से सम्बन्धित कार्य करना ।

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन :- संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन 2/3 बहुमत के आधार पर किया जायेगा ।

संस्था का कोष :- संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के खाते में जमा किया जायेगा तथा खाते का संचालन प्रबन्धक/मंत्री एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा ।

लेखा परीक्षण (आडिट) :- संस्था का आडिट समिति द्वारा नियुक्त किसी अंकेक्षक से कराया जायेगा ।

संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध संचालन का उत्तरदायित्व :- अदालती कार्यवाही में संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध होने वाले मुकदमें की पैरवी मंत्री द्वारा की जायेगी ।

संस्था के अभिलेख :- सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाम्प रजिस्टर, कैश बुक आदि ।

संस्था का विघटन :- संस्था का विघटन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन की धारा 13, 14 के अन्तर्गत किया जायेगा ।

सत्य प्रतिलिपि

V.K. Ojha

सहित पाण्डेय

US mishra.

14-12-05

सत्य प्रतिलिपि

06-01-06

सहायक रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

गोरखपुर

06/01/06

प्रतिलिपि कर्ता

मिलान कर्ता

06/01/06

पंजीकरण संख्या ... 38580
लेख का नाम ... I
... पत्र ...
... 26/12/2005
... 1860 के अधिनियम ...
... की गयी।
26.12.05

सहायक निबन्धक समितियाँ
... मंडल, गोरखपुर

(142)

कार्यालयः सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटी तथा चिट्स गोरखपुर

पत्रांकः५०४१/जी-38550/संतकबीरनगर/2012-2013 दिनांक 29 दिसम्बर 2012

सेवा में,

श्री राकेश कुमार मिश्र/प्रबन्धक
पं0 राकेश मिश्र शिक्षा एवं सेवा संस्थान,
ग्राम व पो0 – पटखौली,
जनपद– संतकबीरनगर।

महोदय,

आपके पत्र दिनांक 27.12.2012 के क्रम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय द्वारा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम सन् 1860 के अन्तर्गत मात्र अलाभकारी संस्थाओं का पंजीयन किया जाता हैं। संस्था **पं0 राकेश मिश्र शिक्षा एवं सेवा संस्थान, ग्राम व पो0 – पटखौली, जनपद– संतकबीरनगर** का पंजीयन सं0–1107/2005–2006 का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21, सन् 1860 के अर्न्तगत अलाभकारी (Not For Profit) संस्था के रूप में ही किया गया है।

भवदीय,

सहायक रजिस्ट्रार
गोरखपुर।